



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082021-228967
CG-DL-E-13082021-228967

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3030]
No. 3030]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SRAVANA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

का.आ. 3270(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, एक अधिसूचना का. आ. 2556(अ). दिनांक 25.06.2021 को सरकारी राजपत्र में और ट्रिब्यून (अंग्रेजी) और अजित (पंजाबी) में दिनांक 02.07.2021 को प्रकाशित किया गया था। भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, केंद्रीय सरकार यहां निम्नलिखित संशोधन करती है (उपरोक्त अधिसूचना में)

" और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;"

के रूप में पढ़ा जाएगा

" और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों का उपयुक्त निर्धारण कर दिया है ;"

[फा. सं. PD/PIU-JAL/NH-503A/237/2017/3D Corr 2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 12th August, 2021

S.O. 3270(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), a notification bearing no. S.O. 2556 (E) was published in the official gazette on 25.06.2021 and in newspapers "The Tribune" (English) and "Ajit" (Punjabi) on 02.07.2021. Based upon the CALA report, the Central Govt. hereby makes the following amendment(s) in the above notification:

"And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority"

Shall be read as

"And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately"

[F. No. PD/PIU-JAL/NH-503A/237/2017/3D Corr 2]

RAJESH GUPTA, Director